अधिशेष शिक्षकों/कार्मिकों के समायोजन के संबंध में चर्चा के बिन्दु

शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयो मे कुल 35794 शिक्षक/कार्मिक विभिन्न कारणों **जैसे** विद्यालय कमोन्नति, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयो मे रूपान्तरण,पदों की स्वीकृति अथवा रिक्त नही होना, काउन्सलिंग द्वारा दोहरा पदस्थापन, विद्यालय में पद टूटने से/संकाय परिवर्तन, स्थानान्तरण/समायोजन आदेशों तथा न्यायिक स्थगन आदेशों की पालना आदि मुख्य कारणों से अधिशेष प्रदर्शित हो रहे है।

उक्त अधिशेष शिक्षको के समायोजन हेतु शासन से अनुमोदन उपरान्त दिनांक 06.09.2024 को समायोजन हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये, जिसे निर्देशानुसार दिनांक 12.09.2024 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। तत्पश्चात् वर्तमान में दिनांक 14.11.2024 को अधिशेष समायोजन किये जाने हेतु दिशा–निर्देश एवं विस्तृत कार्यक्रम निम्नानुसार जारी किया गया है।

क्र.सं.	समायोजन प्रक्रिया का विवरण	निर्धारित तिथि
1	अधिशेष कार्मिकों की पदवार सूची तैयार करना।	25.11.2024 तक
2	अधिशेष कार्मिकों में से समायोजन योग्य कार्मिकों की बिन्दु संख्या–III के उप बिन्दु–15 के अनुसार सम्भावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार करना।	28.11.2024 तक
3	माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या–02 की कार्यवाही के उपरान्त शेष अधिशेष कार्मिकों की सूची प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द करना।	28.11.2024 तक
4	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग से लौटाये गये तथा प्रारम्भिक शिक्षा में अधिशेष कार्मिकों की समेकित पदवार सूची तैयार करना।	02.12.2024 तक
5	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा बिन्दु संख्या–III के उप बिन्दु–15 के अनुसार सम्भावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार करना।	04.12.2024 तक
6	प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करना।	06.12.2024 तक

अधिशेष कार्मिकों के समायोजन से सम्बन्धित **FAQ**

क्र.सं.	प्रश्न	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
1	हिन्दी माध्यम के क्रमौन्नत विद्यालयों में से कुछ विद्यालयों में आई.एफ.एम.एस एवं शाला दर्पण पोर्टल पर पद स्वीकृत कर दिये गये है तथा कुछ विद्यालयों में पद स्वीकृत नहीं किये गये है। <u>जारी निर्देश **II** स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान के बिन्दु संख्या 7 – प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों अथवा मानदण्डानुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पदस्थापित कार्मिक/शिक्षक अधिशेष होगें</u>। ऐसी स्थिति में यदि शासन के पत्रांक 30.04.2015 की पालना में कार्यवाही की जाती है तो पद स्वीकृति में भिन्नता आ रही है। वर्तमान में विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक के 6 पद एवं अध्यापक लेवल–2 के अंग्रेजी एवं गणित–विज्ञान एवं अध्यापक लेवल–1 के 02 पद स्वीकृत है तथा शासन के पत्रांक 30.04.2015 की पालना में मापदण्डानुसार कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहां कला संकाय संचालित है वहां वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) तथा अध्यापक लेवल–2 के 3 पद (सामाजिक विज्ञान/हिन्दी/अंग्रेजी) के पद स्वीकृत होते है। ऐसी स्थिति में समकक्ष विद्यालयों में विरोधाभास स्थिति उत्पन्न हो रही है।	विद्यालयों में पदों के निर्धारण हेतु शासन के दिशा–निर्देश पत्र दिनांक 30.04.15 के अनुसार वर्तमान में विद्यालय में स्वीकृत पदों की समीक्षा अथवा पदों का पुर्ननिर्धारण नहीं किया जाना है। वर्तमान प्रकिया में स्वीकृत पदों के आधार पर ही अधिशेष की पहचान एवं समायोजन की कार्यवाही की जानी है। स्वीकृत पदों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन (कम/अधिक या विषय परिवर्तन) नहीं करना है। नवक्रमोन्नत विद्यालय जहॉ न्यूनतम पद 30.04.15 के अनुसार स्वीकृत होने शेष है, केवल वहीं पद स्वीकृत ना होने के बावजूद उन्हे स्वीकृत मानते हुए अधिशेष पहचान व समायोजन किया जाना है। नोटः– यदि किसी विद्यालय में शिक्षक स्वीकृत पद के विरूद्ध सक्षम आदेशों से पदस्थापित है तो उन्हे अधिशेष नहीं माना जाना है। ऐसे कार्मिक जिनका वेतन अन्य विद्यालय/पद से आहरित किया जा रहा है, उनके अलावा किसी को अधिशेष नहीं माना जाना है।

क्र. सं.	प्रश्न	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
2	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में जिन विद्यालयों में कक्षा 9 (अंग्रेजी माध्यम) है उन विद्यालयों में पूर्व कार्यरत प्रधानाचार्य एवं वरिष्ठ अध्यापक जो कि चयनित नहीं है, को अधिशेष दर्शाया जावें अथवा नहीं।	जब तक चयनित कार्मिक नहीं आये तब तक वे यथावत कार्य करते रहेंगे। बिन्दु संख्या II (1) व अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संबंध में दिशा–निर्देश दिनांक 14.06.2019 के अनुसार। <u>बिन्दु संख्या–II(1) </u>: अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु शिक्षकों/कार्मिकों के चयन के उपरान्त, कार्यग्रहण के पश्चात् ही उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षकों/कार्मिकों को अधिशेष माना जावे।

क्र. सं.	प्रश्न	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
3	अधिशेष कार्मिकों के समायोजन करते समय यदि संबंधित विषय (अध्यापक लेवल–2 हिन्दी/सामाजिक विज्ञान/संस्कृत) के कार्मिक अधिक हो एवं रिक्तियों की संख्या (राजस्व ग्राम/ब्लॉक/जिला) में कम हो तो ऐसी स्थिति में समायोजन का आधार क्या रखा जावें ? क्या ऐसी स्थिति में अधिशेष कार्मिकों को माध्यमिक शिक्षा में आवश्यकतानुसार समायोजन उपरान्त 6डी चयनित कार्मिकों को प्रारंभिक को सुपुर्द किया जावें अथवा नहीं। एवं पदस्थापन की कार्यवाही काउंसलिग से किया जावे का उल्लेख नहीं है।	दिशा–निर्देश पत्र दिनांक 14/11/2024 के सामान्य निर्देश–III का बिन्दू संख्या 3 व 4 के अनुसार कार्यवाही की जाये। अध्यापक एल–1/एल–2 के जिले व वरिष्ठ अध्यापक के मण्डल में ही अधिशेष होने पर प्रकरण निदेशालय को भिजवाये। काउन्सिलिंग नहीं की जानी है। <u>बिन्दु संख्या–III (3) :</u> माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद/विषय पर, उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जावे। अन्य पद/अन्य विषय के विरूद्ध पदस्थापन कतई नहीं किया जाऐ। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पद शेष नहीं रहने पर प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में समायोजन की कार्यवाही की जाए। <u>बिन्दु संख्या–III (4) :</u> जिन अध्यापकों (लेवल–1 व लेवल–2) की उक्त नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है, उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में लगाया जावे। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो तो ही उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में लगाया जाए

क्र. सं.	प्रश्न	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
4	शिक्षकों/कार्मिकों के ब्लॉक में रिक्त पदों के अनुपात में अधिशेष कार्मिकों की संख्या अधिक होने पर ब्लॉक में समायोजन किस आधार पर (ब्लॉक में कार्यग्रहण तिथि/विधालय में कार्यग्रहण तिथि) किया जावे।	विद्यालय में अधिशेष कार्मिकों मे से जो ब्लॉक में कनिष्ठ है उसका समायोजन किया जाना है (दिनांक 14/11/2024 के सामान्य निर्देश का बिन्दू–1) यदि कार्यग्रहण तिथि समान है तो, जिसकी सेवा अवधि कम है उसको अधिशेष मानते हुए सामायोजन किया जाना है। नियुक्ति तिथि और कार्यग्रहण तिथि समान होने पर अधिक आयु वाला वही तथा कम आयु वाला अधिशेष माना जाना है।
5	महात्मा गाँधी विधालयों में कार्मिक अन्य जिलों से कार्यरत होने की स्थिति में एवं अधिशेष होने पर किस जिले में पदस्थापन किया जावे।	दिनांक 14/11/2024 के सामान्य निर्देश–III के बिन्दू संख्या–2 के अनुसार यदि कार्मिक वर्तमान कार्यरत जिले में समायोजित नहीं हो पा रहा है तो प्रकरण निदेशालय भेजे। बिन्दु संख्या–III (2): अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु अचयनित शिक्षकों/कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों मे केवल तभी लगाया जाएगा, जबकि हिन्दी माध्यम विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो। यह समायोजन केवल चयनित शिक्षक/कार्मिक के उपलब्ध होने तक के लिए ही किया जायेगा।

क्र. सं.	प्रश्न	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
6	विद्यालयों में माननीय न्यायालय स्थगन के उपरान्त कार्मिक के पुनः कार्यग्रहण करने पर एवं वर्तमान में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन खारिज करते हुए विभाग को कार्यवाही हेतु निर्देशित करने पर अधिशेष किस कार्मिक को माना जावे।	माननीय न्यायालय में प्रकरण निस्तारित हो चुका है। सामान्य प्रक्रिया से सामायोजन किया जाना है।
7	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती–2022 के तहत सीधे ही माध्यमिक शिक्षा के विधालयों में पदस्थापन किये जाने के कारण इन्हें अधिशेष किया जाना है अथवा नहीं।	जिनका पदस्थापन रिक्त पद के विरूद्ध सक्षम आदेशों द्वारा किया गया है, ऐसे किसी भी कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जाना है।

क्र. सं.	प्रश्न	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
8	मंत्रालयिक संवर्ग के अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान सरकार की अ.शा.टीप क्रमांक FD/E-2/कार्मिक (5)/2022–2023 जयपुर दिनांक 25.05.2022 की पालना सुनिश्ंचित किये जाने हेतु निर्देशित किया है। उक्त टिप्पणी में अंकित है कि मंत्रालयिक संवर्ग में उपरोक्तानुसार सृजित पदों से पूर्व में ही किसी पद पर अधिक कार्मिक कार्यरत है तो सृजित पदो ंके अतिरिक्त पदों को अस्थाई रूप से सृजित माना जावेगा तथा जैसे–जैसे पदौन्नति/सेवानिवृत्ति से पद रिक्त होगें, अस्थाई रूप से सृजित पद स्वतः ही समाप्त माने जायेगे। ऐसी स्थिति में मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों को अधिशेष माना जावें अथवा नहीं।	दिशा–निर्देश पत्र दिनांक 14/11/2024 के बिन्दु संख्या–II, स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान के बिन्दू संख्या–10 के अनुसार किया जाये। <u>बिन्दु संख्या–II (10) :</u> मंत्रालयिक संवर्ग के अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान सरकार की अ.शा. टीप क्रमांकः FD/E-2/कार्मिक(5)/2022–23 जयपुर, दिनांकः 25.05.2022 की पालना सुनिश्चित की जावे।
9	6(3) की सूची दिनांक 31.03.2015 तक बनी हुई हे। आगे निर्धारत नहीं किया गया है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक द्वारा	वर्तमान में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन किया जाना है, इसके अतिरिक्त कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

क्र. सं.	प्रश्न	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
10	उप्रावि से सीधे ही नवक्रमोन्नत महात्मा गांधी विद्यालय किये गये हैं उनमें अंग्रेजी माध्यम की कक्षा 1–6 प्रारम्भ हुई है उनमें महात्मा गांधी विद्यालयों के मानदण्डानुसार व0अ0 एवं शा0शि0 का पद नहीं बनता है लेकि वहॉ पूर्व से ही उप्रावि हिन्दी माध्यम का व0अ0 (उ0प्रा0वि0 प्र0अ0) एवं शा0शि0–III ग्रेड कार्यरत है, क्या उनको अधिशेष मानकर हटाया जाना है या नहीं स्थिति स्पष्ट नहीं है।	पूर्व में कार्यरत कार्मिक तभी अधिशेष होगा जब उस पद पर चयनित कार्मिक कार्यग्रहण करता है। वर्तमान में इनको अधिशेष नहीं मानना है। **<u>FAQ के बिन्दु संख्या–2 के अनुसार।</u>** जब तक चयनित कार्मिक नहीं आये तब तक वे यथावत कार्य करते रहेंगे। बिन्दु संख्या II (1) व अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संबंध में दिशा–निर्देश दिनांक 14.06.2019 के अनुसार। <u>बिन्दु संख्या–II (1) :</u> अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु शिक्षकों/कार्मिकों के चयन के उपरान्त, कार्यग्रहण के पश्चात् ही उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षकों/कार्मिकों को अधिशेष माना जावे।
11	नवक्रमोन्नत विद्यालयों में कार्यरत प्रारम्भिक सेटअप के कार्यरत समस्त कार्मिक अधिशेष होगें या नहीं ।	नहीं, दिशा–निर्देश दिनांक 14.11.2024 के अनुसार ही अधिशेष की पहचान करसमायोजन योग्य का समायोजन किया जाये।

क्र. सं.	प्रश्न	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
12	क्रमोन्नत उच्च माध्यममक में पदों का निर्धारण किस आधार पर करना है शासन के पत्र 30–04–15 के अनुसार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक हेतु पदों का निर्धारण अलग–अलग है। वर्तमान में राज्य में माध्यमिक के स्थान पर उच्च माध्यमिक विद्यालय है। आईएफएमएस द्वारा पदों की स्वीकृति अधिकतर विद्यालयों में माध्यमिक के अनुसार एल 2 विज्ञान, गणित और अंग्रेजी का पद है। उच्च माध्यमिक अनुसार अधिकांश कला संकाय सामाजिक, हिंदी एवं अंग्रेजी का पद है। किसके अनुसार अधिशेष मानना है दोनों में भिन्नता के कारण अलग अलग विषय के कार्मिक सरप्लस हो रहें हैं।	जो पद वर्तमान में आई एफ एम एस/शाला दर्पण पर स्वीकृत है उसी अनुसार कार्य किया जाना है। पुनः गणना/पुर्ननिर्धारण का कार्य नही किया जाना है
13	न्यायालय प्रकरण में कनिष्ठ कार्मिक द्वारा कोर्ट स्टेट ले रखा तो उसको तो उसके स्थान पर वरिष्ठ कार्मिको को अधिशेष मान कर समायोजन किया जाना हैं।	दिनांक 14/11/24 को जारी दिशा निर्देश के स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान के बिन्दू संख्या–II (9) के अनुसार किया जाना है। इनमें आदेश माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के अध्याधीन किये जायेगें। बिन्दू संख्या–II (9) : न्यायिक प्रकरण में स्थगन प्राप्त शिक्षक/कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जावे तथा इस कारण से संबंधित पद पर अन्य पदस्थापित शिक्षक/कार्मिक अधिशेष होंगे।

क्र. सं.	प्रश्न	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
14	विद्यालय में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक पद स्वीकृत है लेकिन चयन प्रक्रिया से पद नहीं भरा गया है उक्त विद्यालय में प्रबोधक शारीरिक शिक्षक कार्यरत है क्या बिन्दु संख्या 2 के किस उपबिन्दु (8 या 1) के अनुसार कार्यवाही की जानी है।	दिनांक 14/11/24 को जारी दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या–II, स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान के बिन्दु संख्या–8 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा को सुर्पुद करना है। <u>बिन्दु संख्या–II (8) :</u> माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक **यथा:** वरिष्ठ प्रबोधक, प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैराटीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि जिनके पद इन विद्यालयों में नहीं होते हैंवे विभाग में अधिशेष माने जायेंगे।
15	जिन क्रमोन्नत विद्यालयों में पद स्वीकृत हो गए हैं, परन्तु तत् समय अधिशेष कार्मिको का समायोजन नहीं होने पर वह पर रिक्त चलने पर प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा उक्त पद पर पदस्थापन कर दिया गया है। लेकिन अधिशेष शिक्षक जो पूर्व में इस विद्यालयो से अधिशेष हैं का भी वहीं विषय एवं पद है को यथावत समायोजन किए जाने के निर्देश दिए हुए है तो क्या प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा सीधी भर्ती से उक्त पद पर लगाया गया कार्मिक को पुनः प्रारम्भिक में लौटाया जावे या अधिशेष शिक्षक जो यथावत होने वाला था को अन्य विद्यालयों में।	पूर्व में कार्यरत कार्मिक जो कि स्वीकृत के बाद नवीन पदस्थापन से लगा दिये गये, कनिष्ठ को अधिशेष माना जाना है। माध्यमिक में लगाया जाना है। सामान्य प्रक्रिया से ही समायोजन की कार्यवाही की जाये।

क्र. सं.	प्रश्न	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
16	महात्मा गांधी विद्यालयों में इस सत्र से 6 कक्षा संचालित हो गई है और हिंदी माध्यम के अध्यापक कार्यरत है तो क्या अन्य महात्मा गांधी विद्यालयों से चयनित कार्मिक अधिशेष होते है तो उनको इस सत्र की 6 कक्षा संचालित विद्यालय में हिंदी माध्यम के कार्यरत अध्यापक के स्थान पर लगा सकते है क्या ? ऐसा करने से हिन्दी माध्यम का अध्यापक अधिशेष होगा।	महात्मा गांधी विद्यालय से चयनित स्पष्ट अधिशेष को अन्य महात्मा गांधी विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर लगाना है। यदि पूरे जिले में ही स्पष्ट रिक्त पद नहीं होने पर हिन्दी माध्यम विद्यालय में लगाया जाना है, किन्तु अंग्रेजी से हिन्दी माध्यम में परिवर्तन हेतु किये गये आदेशों की कार्योत्तर स्वीकृति निदेशालय से ली जानी है। यदि उक्त अधिशेष कार्मिक अंग्रेजी माध्यम में चयन से पदस्थापन से पूर्व अन्य जिले में कार्यरत था तो ऐसे प्रकरण निदेशालय को प्रेषित कर दिए जाऐंगें।
17	महात्मा गॉधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के सफल संचालन हेतु निर्देशानुसार अध्यापक ग्रेड–III लेवल–I को साक्षात्कार के माध्यम से चयन कर पदस्थापित किया गया था। बजट घोषणा के क्रियान्वयन की पालना में महिला एवं बाल विकास विभाग से शिक्षा विभाग को एनटीटी सुपुर्द किये जाने पर एनटीटी के पदस्थापन के पश्चात समस्त अधिशेष चयनित कार्मिकों का समायोजन हिन्दी/अग्रेंजी माध्यम विद्यालय हेतु स्थिति स्पष्ट नहीं है।	अधिशेष समायोजन के निर्देशों के बिन्दू संख्या–II स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान के बिन्दू 3 के अनुसार कार्यवाही की जानी है। <u>बिन्दू संख्या–II (3) :</u> अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाऐं संचालित की जा रही है, में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने की स्थिति में, इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक, लेवल–प्रथम शिक्षकों को अधिशेष माना जावे।

क्र. सं.	प्रश्न	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
18	क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु पदों का मानदण्ड आदेश दिनांक 30.04.2015 के बिन्दु संख्या 1.1.1 के अनुसार किया जाना है या इसी आदेश के बिन्दु संख्या 6.1 और 6.2 के द्वारा किया जाना है। मार्गदर्शन करने की कृपा करे। यदि 1.1.1 के अनुसार पद स्वीकृत माना जावे तो कोई वरिष्ठ का पद कम होने के कारण अधिशेष होता है तो (जबकि विद्यालय में व्याख्याता नहीं होने कारण उस पद की आवश्यकता रहेगी।) उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट मार्गदर्शन करने की कृपा करें।	उच्च प्राथमिक स्तर से सीधे ही उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत होने पर 1.1.1 के अनुसार व माध्यमिक से उमावि में क्रमोन्नत होने पर 6.1 के अनुसार किया जाना है जो कि शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 30.04.2015 में स्पष्ट रूप से वर्णित है।
19	पृष्ठ संख्या 02 में वर्णितसामान्य निर्देश–।।। बिन्दु संख्या–04 के अनुसार 6(3)डी के तहत जिन अध्यापको की कार्यवाही हो चुकी है उन्हे अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग में लेना है , जबकि इसी क्रम में बिन्दु संख्या 05 के तहत राजस्थान शिक्षा नियम–2021 के नियम 6(3) के तहत जिन अध्यापको की कार्यवाही नही हुई है उन्हे विभाग में पद शेष नही होने की स्थिति में ही अधिशेष मानना है	माध्यमिक शिक्षा में समायोजन योग्य सभी कार्मिका का माशि के विद्यालयों में ही समायोजन करना है, चाहे उसकी 6(3) की कार्यवाही नहीं हुई हो। माशि में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में ही इन्हें प्राशि में लौटाना है।

क्र. सं.	प्रश्न	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
20	प्रारम्भिक शिक्षा से नई भर्ती में 2023 में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लेवल–I एवं लेवल–II (विभिन्न विषय) के अध्यापको का पदस्थापन कर दिया गया एवं ये इन विद्यालयों में पदों पर पदस्थापित है। इनमें से कई विद्यालय क्रमौन्नत होकर मिडिल से उच्च माध्यमिक हुए है एवं यहां पर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक कार्यरत है जो कि 2023 में पदस्थापित कार्मिकों से वरिष्ठ है एवं अधिशेष टेब में दर्शाये जा रहे है। इनमें से उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वीकृत लेवल–I एवं II पदों पर किसका समायोजन होगा, पूर्व में कार्यरत मिडिल या नई भर्ती 2023 के कार्मिको का।	दिनांक 14.11.2024 के दिशा–निर्देशों के सामान्य निर्देशों के अनुसार कनिष्ठ कार्मिक हटेगा।
21	नवक्रमोन्नत विद्यालयों में 32 शारीरिक शिक्षा अध्यापक कार्यरत है। 2015 के परिपत्र के अनुसार शाशि–II/शाशि–I ग्रेड के बनते हे। जिले में कुल 25 शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद रिक्त है। जिनको भरने के उपरान्त भी 07 शारीरिक शिक्षा अध्यापक जिले में अधिशेष हो रहे है। जिनको किस प्रकार समयोजन किया जाना है।	नवक्रमोन्नत विद्यालयों में 30/04/2015 के परिपत्र अनुसार पद स्वीकृत माने जाने है। यदि इसके बावजूद जिले में अधिशेष है तो प्रकरण निदेशालय को भिजवायें।

क्र. सं.	प्रश्न	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
22	नवक्रमोन्नत विद्यालयो में प्रारम्भिक शिक्षा के लेवल–1 एवं लेवल–2 के ऐसे शिक्षक जिनका समायोजन उसी विद्यालय में किया जाना संभव नहीं होने पर क्या उन्हें माध्यमिक शिक्षा के अन्य विद्यालयों में लगाया जाना है अथवा प्रारम्भिक शिक्षा को लौटाया जाना है।	माध्यमिक शिक्षा में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्मिकों का प्राशि को सौपा जाना है।
23	माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त कार्मिकों में जिन कार्मिकों के स्थगन पर माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी कर नये स्थानान्तरण आदेश पारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई हे। ऐसी स्थिति में किसे अधिशेष घोषित किया जाना है	**FAQ का बिन्दु संख्या–III (6) के अनुसार** माननीय न्यायालय में प्रकरण निस्तारित हो चुका है। सामान्य प्रक्रिया से सामायोजन किया जाना है।
24	शहरी क्षेत्र से जो पुर्व प्राथमिक अध्यापक अधिशेष हुए है उन्हें शहरी क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्त पद नहीं होने की दशा में ग्रामीण क्षेत्र में किस वरियता क्रम में पदस्थापित किया जावें।	दिनांक 14.11.2024 के बिन्दु संख्या–III (15) के अनुसार सामान्य प्रक्रिया से कनिष्ठ कार्मिक को प्राथमिकता से अधिशेष किया जाना है। एनटीटी के अधिशेष शहरी क्षेत्र के पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उसी ब्लॉक के नजदीकी एमजीजीएस विद्यालय में पदस्थापन किया जावें। उसी ब्लॉक में पद रिक्त नहीं होने पर नजदीकी ब्लॉक में रिक्त पद पर समायोजन किया जावें।

क्र. सं.	प्रश्न	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
25	पद विरूद्व पदस्थापित कार्मिकों को अधिशेष की श्रेणी में रखा जाना है या नहीं ।	यदि किसी विद्यालय में शिक्षक स्वीकृत पद के विरूद्ध सक्षम आदेशों से पदस्थापित है तो उन्हे अधिशेष नहीं माना जाना है। ऐसे कार्मिक जिनका वेतन अन्य विद्यालय/पद से आहरित किया जा रहा है, उनके अलावा किसी को अधिशेष नहीं माना जाना है।
26	टीएसपी से नॉनटीएसपी क्षैत्र में पद विरूद्व समायोजन किये गये है चुकि वर्तमान में पद अधिक रिक्त नहीं होने से समायोजन पर दुरस्थ पदस्थापन होने पर न्यायालय प्रकरण की स्थिति की सम्भावना ।	यदि किसी विद्यालय में शिक्षक स्वीकृत पद के विरूद्ध सक्षम आदेशों से पदस्थापित है तो उन्हे अधिशेष नहीं माना जाना है। ऐसे कार्मिक जिनका वेतन अन्य विद्यालय/पद से आहरित किया जा रहा है, उनके अलावा किसी को अधिशेष नहीं माना जाना है।

क्र. सं.	प्रश्न	की जाने वाली कार्यवाही का विवरण
27	विधवा, परित्यक्ता और गम्भीर बीमार कार्मिक अधिशेष होने पर क्या किया जाना है।	यदि कनिष्ठ होने के कारण अधिशेष होने वाला कार्मिक स्वयं विशिष्टि श्रेणी–विधवा, परित्यक्ता, दृष्टिहीन, दोनों पैरों से दिव्यांग, गंभीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा (हार्ट बाय पास सर्जरी)) होने की स्थिति में उन्हें यथावत रखते हुए शेष में से कनिष्ठ शिक्षक/कार्मिक को अधिशेष माना जाना है।